



जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

No./IPRO/DFA/2025-26

Date:-

ऑनलाइन ऑफ केम्पस संयुक्त काउंसिलिंग कार्यक्रम 2025-26

B.Sc. (Hons) Agriculture, B.Sc. (Hons) Horticulture, B.Sc. (Hons) Forestry and B.Tech. (Agricultural Engineering)

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पी.ए.टी. 2025 के घोषित परिणामों के आधार पर जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में प्रवेश के इच्छुक समस्त उम्मीदवार अर्हताकारी परीक्षा में प्रावीण्यता के आधार पर तालिका क्रमांक 1.1 में दिये गये श्रेणीवार प्राप्तांक या उससे अधिक प्राप्तांक प्राप्त समस्त अभ्यर्थी तालिका क्र. 1.2 में दर्शाये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन ऑफ केम्पस काउंसिलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाइट www.jnkvv.org, www.rvskvv.net या <https://kvv.mponline.gov.in> के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं।

तालिका क्र. 1.1

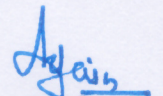
क्र.	श्रेणी	पी.ए.टी.-2025 में प्राप्त प्राप्तांक	
		B.Sc. (Hons.) Ag./Horti./Forestry	B. Tech. (Ag. Engg)
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/दिव्यांग/सैनिक अभ्यर्थी समस्त श्रेणी UR/SC/ST/OBC (FF/S/PWD)	समस्त पात्र अभ्यर्थी	समस्त पात्र अभ्यर्थी
2	अनु. जाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी SC (F)	समस्त पात्र अभ्यर्थी	समस्त पात्र अभ्यर्थी
3	अनु. जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी SC (X) तथा समस्त कृषक अभ्यर्थी SC (K)	समस्त पात्र अभ्यर्थी	समस्त पात्र अभ्यर्थी
4	अनु. जनजाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी ST (F)	समस्त पात्र अभ्यर्थी	समस्त पात्र अभ्यर्थी
5	अनु. जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी ST(X) तथा समस्त कृषक अभ्यर्थी ST(K)	समस्त पात्र अभ्यर्थी	समस्त पात्र अभ्यर्थी
6	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी OBC (F)	60 या अधिक	समस्त पात्र अभ्यर्थी
7	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी OBC(X) तथा समस्त कृषक अभ्यर्थी OBC(K)	78 या अधिक	38 या अधिक
8	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समस्त अभ्यर्थी (EWS)	67 या अधिक	समस्त पात्र अभ्यर्थी
9	अनारक्षित श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी UR(F)	62 या अधिक	समस्त पात्र अभ्यर्थी
10	अनारक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थी UR(X)	80 या अधिक	40 या अधिक

टीप: समस्त पात्र अभ्यर्थी से तात्पर्य है ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिनका म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की सूची में नाम है।

तालिका क्र. 1.2

पाठ्यक्रम B.Sc. (Hons) Agriculture/B.Sc. (Hons) Horticulture/ B.Sc. (Hons) Forestry/B.Tech. (Agricultural Engineering.)		
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क का भुगतान	18/09/2025 से	23/09/2025 तक
निर्धारित केन्द्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन (सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक) (अवकाश दिवस को छोड़कर)	19/09/2025 से	24/09/2025 तक
रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापित अभ्यर्थियों कि मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रदर्शन	25/09/2025	
निर्धारित शुल्क का भुगतान कर इच्छित महाविद्यालयों के प्राथमिकता कम का ऑनलाइन चयन व लॉक करना	26/09/2025 से	29/09/2025 तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता	01/10/2025	
काउंसिलिंग शुल्क (आंशिक शुल्क रुपये 5000/- अप्रतिदेय) का भुगतान	01/10/2025 से	08/10/2025 तक
आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थिति एवं प्रवेश (11 बजे से शाम 5 बजे तक) (अवकाश दिवस को छोड़कर)	01/10/2025 से	08/10/2025 तक

- प्रवेश नियम, काउंसिलिंग प्रक्रिया एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी www.jnkvv.org, www.rvskvv.net या <https://kvv.mponline.gov.in> पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवें।
- प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल पी.ए.टी. 2025 पुस्तिका में दिये गये प्रवेश नियमों का पालन किया जावेगा।
- सभी पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निम्नलिखित केन्द्रों पर होगा—
कृषि महाविद्यालय, जबलपुर/रीवा/टीकमगढ़/गंजबसौदा/वारासिवनी (बालाघाट)/पवारखेड़ा (नर्मदापुरम)/ग्वालियर/इन्दौर/सीहोर/खंडवा/ उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर/कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर/आंचलिक अनुसंधान केन्द्र, चंदनगांव, छिंदवाड़ा/क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, सागर, कृषि विज्ञान केन्द्र, पन्ना।
- पेमेंट सीट पर उन्ही अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल पी.ए.टी. 2025 में आवेदन करते समय पेमेंट सीट के ऑप्शन पर टिक किया होगा या Yes लिखा होगा एवं अभ्यर्थियों का नाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल पेमेंट सूची में अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है।
- मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल पुस्तिका 2025 में दर्शाये गये प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019 का संलग्नक प्रारूप के आधार पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छायाप्रति महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक है।
- अपग्रेडेशन का विकल्प केवल प्रथम एवं द्वितीय चक्र में ही उपलब्ध होगा।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शेष रिक्त सीटों का महाविद्यालयवार एवं श्रेणी वार जानकारी www.jnkvv.org, www.rvskvv.net एवं <https://kvv.mponline.gov.in> पर प्रदर्शित किया जावेगा।
- प्रथम चक्र में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे भी रजिस्ट्रेशन कर दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं तत्पश्चात उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रावीण्यता सूची के आधार पर आवंटन किया जावेगा।


कुलसचिव



जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur (M.P.)
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior (M.P.)

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश : JNKVV एवं RVSKVV स्नातक काउंसलिंग 2025 हेतु
Important Advisory for Candidates: JNKVV & RVSKVV UG Counselling 2025

1. JNKVV एवं RVSKVV स्नातक काउंसलिंग 2025 ESB PAT परीक्षा 2025 के आधार पर आयोजित की जाएगी। PAT 2025 के अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल <https://kvv.mponline.gov.in> के माध्यम से संपन्न होगी।

The JNKVV & RVSKVV UG Counselling 2025 will be conducted on the basis of the ESB PAT Examination 2025. All candidates who have qualified in PAT 2025 are eligible to participate in this counselling. The entire process will be carried out online through the official portal <https://kvv.mponline.gov.in>

2. प्रवेश नियम, काउंसलिंग प्रक्रिया एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी JNKVV & RVSKVV पोर्टल (<https://kvv.mponline.gov.in>) एवं वेबसाइट (<https://www.jnkvv.org>) , (<https://www.rvskvv.net>) पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।

Detailed information regarding admission rules, counselling procedures, and applicable fees is available on the JNKVV & RVSKVV Portal (<https://kvv.mponline.gov.in>) and Website (<https://www.jnkvv.org>) , (<https://www.rvskvv.net>) candidates are advised to carefully study the information provided.

3. प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल पी.ए.टी. 2025 पुस्तिका में दिये गये प्रवेश नियमों का पालन किया जायेगा।
For admissions, the rules mentioned in the Madhya Pradesh Employees Selection Board (ESB), Bhopal PAT 2025 rule book will be strictly followed.

4. JNKVV एवं RVSKVV स्नातक काउंसलिंग 2025 की प्रक्रिया पात्र प्रतिभागी अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार होगी:
Following are the process of JNKVV & RVSKVV UG Counselling 2025 for the eligible participating students:



- a) प्रोफाइल क्रिएशन एवं ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क भुगतान के साथ (अप्रतिदेय) (Profile Creation and Online Registration by paying fee (Non-Refundable))
- b) सत्यापन केंद्र में दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification in Verification Center)
- c) पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (Merit List of Registered & Verified Candidates)
- d) अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग, शुल्क भुगतान के साथ (अप्रतिदेय) (Choice Filling & Locking by Candidates by paying fee (Non-Refundable))
- e) ऑनलाइन आवंटन (Online Allotment)
- f) 5000 रुपये (अप्रतिदेय) का आंशिक भुगतान एवं आवंटन परिणाम डाउनलोड/प्रिंट करना (Part Payment of 5000 Rs/- (Non-Refundable) and Download/Print Allotment Result)
- g) बेहतर विकल्प के चयन हेतु आवेदन (Apply for Upgradation)
- h) आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति एवं ऑनलाइन प्रवेश (Reporting and Online Admission in Allotted College)
- i) आवंटित महाविद्यालय में कक्षा का प्रारंभ (Commencement of Classes in Allotted College)

5. अभ्यर्थियों को पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाकर पंजीकरण फॉर्म भरना अनिवार्य है। पंजीकरण तभी मान्य माना जाएगा जब निर्धारित पंजीयन शुल्क (अप्रतिदेय) का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध Registration User Manual को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।

Candidates must create their profile on the portal to fill out the registration form. Registration will be considered valid only after successful payment of the prescribed registration fee (Non-Refundable). It is strongly advised to read the Registration User Manual available on the portal before proceeding with registration.

6. पंजीकरण का समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्प्यूटर का फेल होना, तकनीकी त्रुटि, बिजली का जाना, या जानकारी का आभाव होना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

In case of any issues during registration, such as network failure, computer malfunction, technical errors, power outage or lack of information, the registration deadline will not be extended. Candidates are therefore advised to complete their registration process at the earliest within the given time period and not wait until the last date.



7. ESB PAT 2025 परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई व्यक्तिगत जानकारीयाँ, जैसे कि – अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, मूल निवास की स्थिति, श्रेणी, वर्ग, एवं पेमेंट सीट हेतु विकल्प, आदि, सीधे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाएँगी और इनमें कोई संशोधन संभव नहीं होगा। केवल काउंसलिंग पंजीकरण के दौरान भरे गए अतिरिक्त विवरणों को ही अभ्यर्थी अपने Candidate Login के माध्यम से काउंसलिंग कार्यक्रम में निर्धारित अंतिम तिथि तक संशोधित कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी ही पोर्टल पर दर्ज करें।

The personal details provided by candidates during the ESB PAT 2025 examination, such as Candidate Name, Father's Name, Mother's Name, Date of Birth, Gender, Domicile status, Category, Class, and whether applied for Payment Seat, etc., will be directly used for the online counselling process and cannot be editable. Only the additional details filled during the counselling registration can be edit through the candidate login until the last date specified in the counselling schedule. Candidates are advised to enter only their own mobile number and email ID on the portal.

8. पंजीयन पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सत्यापन केंद्र में नीचे दी गई दस्तावेजों की सूची के अनुसार अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाने हेतु जाना होगा:

After registration, the candidate will have to go to the designated verification center to get his/her documents verified as per the list of documents given below:

S.No	Documents Name
1	Registration Form Slip
2	ESB PAT-2025 Admit Card and Score Card
3	Class 10 th and 12 th Marksheet / Certificate
4	Gap Certificate (If Applicable)
5	MP Domicile Certificate (Issued by Competent Authority of MP) (If Applicable)
6	Caste (OBC / SC / ST) Certificate (Issued by Competent Authority of MP) (If Applicable)
7	Economically Weaker Section (EWS) Certificate (Issued by Competent Authority of MP) (If Applicable)
8	Income Certificate for OBC / EWS Candidate (Issued by Competent Authority of MP)
9	Person with Disability Certificate (If Applicable)
10	Freedom Fighter / Sainik Certificate (If Applicable)
11	Farmer / Krishak Certificate (If Applicable)

नोट: अभ्यर्थी निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारूप पी.ए.टी की नियम पुस्तिका से प्राप्त कर सकते हैं।

Note: Candidates can obtain the formats of prescribed proforma from the PAT rule book.



9. सभी पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी निम्नलिखित सत्यापन केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं:

All courses candidates can get their documents verified by visiting the following verification centers:

S.No	Verification Center Name
1	College of Agriculture, Jabalpur (District- Jabalpur)
2	College of Agriculture, Rewa (District- Rewa)
3	College of Agriculture, Tikamgarh (District- Tikamgarh)
4	College of Agriculture, Ganjbasoda (District- Vidisha)
5	College of Agriculture, Waraseoni (District- Balaghat)
6	College of Agriculture, Powarkhera (District- Narmdapuram)
7	College of Agricultural Engineering, Jabalpur (District- Jabalpur)
8	Zonal Agricultural Research Station, Chandangaon (District- Chhindwara)
9	Regional Agricultural Research Station, Sagar (District- Sagar)
10	Krishi Vigyan Kendra, Panna (District- Panna)
11	College of Agriculture, Gwalior (District- Gwalior)
12	College of Agriculture, Indore (District- Indore)
13	R.A.K. College of Agriculture, Sehore (District- Sehore)
14	B.M. College of Agriculture, Khandwa (District- Khandwa)
15	College of Horticulture, Mandsaur (District- Mandsaur)

10. पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची ESB PAT की Rank के आधार पर तैयार की जाएगी।

The merit list of registered & verified candidates will be prepared based on the ESB PAT Rank.

11. पंजीकरण एवं सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, अभ्यर्थी को अपनी पसंद के कॉलेज (फ्री/पेमेंट) की प्राथमिकता का चयन करना होगा तथा उन्हें लॉक करना अनिवार्य होगा। सीट आवंटन के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा जिनके द्वारा प्राथमिकताओं की लॉकिंग के पश्चात निर्धारित शुल्क (अप्रतिदेय) का सफल भुगतान किया गया हो। अभ्यर्थी अपने लॉक किये गये प्राथमिकताओं को निर्धारित चरण की Choice Filling & Locking की अंतिम तिथि तक संशोधित कर सकते हैं।

After completing the registration & verification process, candidates must fill and lock their preferred choices of colleges (Free/Payment) for seat allotment. The locking of these choices will be considered for allotment only after the successful payment of the required fee (Non-Refundable). Candidates may edit their locked choices until the last date of choice filling and locking for that specific round of counselling.

12. प्राथमिकताओं के चयन के दौरान मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी महाविद्यालय की फ्री सीट एवं पेमेंट सीट दोनों विकल्प चुन सकते हैं, जबकि मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थी केवल पेमेंट सीट का विकल्प चुनने के पात्र होंगे।

MP Domicile candidates are eligible to select both Free and Payment seat options of colleges during choice filling, while Non-Domicile candidates can opt for Payment seat choices only.



13. पेमेंट सीट पर उन्ही अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल पी.ए.टी. 2025 में आवेदन करते समय पेमेंट सीट के आप्शन पर हाँ (Yes) का चयन किया गया होगा।
Only those candidates will be eligible for admission on the payment seat who have selected Yes on the payment seat option while applying to Madhya Pradesh Employee Selection Board, Bhopal PAT 2025.
14. जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है, उन्हें अपना आवंटन पत्र अपने Candidate Login से आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये (अप्रतिदेय) 5000 का भुगतान कर डाउनलोड कर सकेंगे।
All candidates who have allotted a seat can download their allotment letter by paying part payment of Rs/- 5000 (Non-Refundable) through their candidate login.
15. आवंटित अभ्यर्थी अगले चरण हेतु Upgradation के लिए आवेदन करने का विकल्प रहेगा, यह विकल्प अभ्यर्थी के Candidate Login में घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध होगा। Upgradation का विकल्प तभी चालू होगा जब अभ्यर्थी द्वारा आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये (अप्रतिदेय) 5000 का भुगतान कर लिया हो।
Allotted candidates will have the option to apply for upgradation for Next Round. The upgradation option will be available in the candidate's profile login as per the published schedule. Upgradation link will only be enable after paying the part payment of Rs/- 5000 (Non-Refundable).
16. ऐसे आवंटित अभ्यर्थी जो आगामी चरणों में भाग लेना चाहते हैं उन्हें अपने Candidate Login से Upgradation विकल्प का चयन करना होगा अगर वह ऐसा नहीं करते हैं अथवा Upgradation में "No" विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें काउंसलिंग के आगामी चरणों में Upgradation हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
The allotted candidates who wish to participate in the subsequent rounds must select the Upgradation option from their Candidate Login. If they do not select this option, or if they choose "No" option for Upgradation, they will not be considered for Upgradation in the upcoming counselling rounds
17. ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश लेना चाहते हैं वे Allotment Letter डाउनलोड करने के बाद, आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं प्रवेश शुल्क के साथ अपने आवंटित संस्था में उपस्थित होना होगा, जहाँ ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
Candidates who wish to take admission on their allotted seat must, after downloading the Allotment Letter, report to their allotted institute with the required original documents and admission fee. The online admission process will be completed at the allotted institute itself.



18. प्रवेशित अभ्यर्थी के रूप में उन्हीं अभ्यर्थियों को मान्य माना जायेगा जिनका प्रवेश आवंटित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिया गया हो। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन प्रवेश मान्य नहीं होगा।

Only those candidates will be considered as admitted whose admission has been granted by the allotted college through the online portal. Under no circumstances will offline admissions be considered valid.

19. आगामी चरणों की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में लॉक की गई choices को आवंटन हेतु मान्य किया जायेगा, अभ्यर्थियों को अपनी पूर्व में लॉक की गई choices को उस चरण की काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार एडिट करने की सुविधा candidate login पर उपलब्ध रहेगी। नवीन अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के कॉलेज (फ्री/पेमेंट) की प्राथमिकता का चयन करना होगा तथा उन्हें लॉक करना अनिवार्य होगा।

In the upcoming round of counselling, the choices previously locked by the candidates will be considered for seat allotment. Candidates will have the facility to edit their previously locked choices through Candidate Login, as per the schedule of that counselling round. New candidates will be required to fill their preferred colleges (Free/Payment) and it will be mandatory to lock their choices.

20. प्रत्येक चरण की प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात रिक्त रह गई सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

After the completion of each round of admission, the details of the vacant seats will be displayed on the portal.

21. चरणवार ऑनलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की पात्रता इस प्रकार होगी:

In the round-wise online counselling, the eligibility of candidates will be as follows:

Eligibility of Students in Various Rounds		
First Round Eligibility		
1.	All Registered & Verified Candidates	Eligible to Participate
Second Round Eligibility		
1.	Allotted in First Round and Opted for Upgradation for Second Round	Eligible to Participate
2.	Fresh Registered (Newly Registered & Verified) Candidates in Second Round	Eligible to Participate
3.	Not Allotted Candidates of First Round	Eligible to Participate
4.	Allotted in First Round but Not taken Admission in First Round (Not Reported)	Not Eligible to Participate
5.	Cancellation of admitted seats of First Round by the Candidate	Not Eligible to Participate
6.	Admitted in First Round (Satisfied Candidates)	Not Eligible to Participate
Third Round (Conversion Round Only for Payment Seats) Eligibility		
1.	Allotted in Second Round and Opted for Upgradation for Third Round	Eligible to Participate
2.	Not Allotted Candidates of First and/or Second Round	Eligible to Participate
3.	Allotted but Not Admitted in First and/or Second Round (Not Reported)	Not Eligible to Participate
4.	Cancellation of admitted seats of First and/or Second Round by the candidate	Not Eligible to Participate
5.	Admitted in First or Second Round (Satisfied)	Not Eligible to Participate



22. काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या हेतु हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं: 0755-6720200
(सोमवार-शुक्रवार: प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक,
शनिवार-रविवार: प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक)

For any technical query related to the counselling process you may contact on help line number:
0755 6720200 (Mon-Fri 08:00 AM - 08:00 PM , Sat-Sun 09:30 AM - 06:30 PM)

23. अधिक जानकारी एवं नवीन सूचना हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से JNKVV & RVSKVV पोर्टल (<https://kvv.mponline.gov.in>) एवं वेबसाइट (<https://www.jnkvv.org>) , (<https://www.rvskvv.net>) पर संपर्क बनाए रखें।

For more details and latest update it advised that keep in touch with JNKVV & RVSKVV Portal (<https://kvv.mponline.gov.in>) and Website (<https://www.jnkvv.org>) , (<https://www.rvskvv.net>) .

--X--